प्रत्नकीर्तिमपावृणु

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
झांसी मण्डल, झांसी

जनहित में जारी सूचना

एतद्द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया जाता है कि भारत की संसद से पारित होने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा **"प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010"** 30 मार्च 2010 को अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या 13 द्वारा जारी किया गया है। यह अधिनियम "प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958" का संशोधित रूप है। यह दोनों अधिनियम वेबसाइट www.asi.nic.in पर उपलब्ध हैं।

इस अधिनियम का उद्देश्य हमारी विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना है। यह **राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण, चाहे वह लोक परियोजना ही क्यों न हो, न होने देने** के सरकार के दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है।

इस अधिनियम के द्वारा किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्थल अथवा स्मारक की सीमा के चतुर्दिक न्यूनतम 100 मीटर के क्षेत्र को **प्रतिषिद्ध क्षेत्र** के रूप में घोषित किया गया है। प्रतिषिद्ध न्यूनतम 200 मीटर के क्षेत्र को **विनियमित क्षेत्र** माना गया है। जिन्हें किसी स्मारक अथवा संरक्षित स्थल के वर्गीकारण के परिपेक्ष्य में और बढ़ाया जा सकता है।

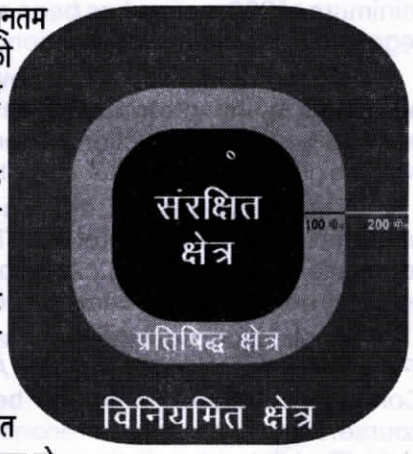

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोक परियोजना सहित किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी तथा विनियमित क्षेत्र में निर्माण एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों की अनुमति विरासत उपविधियों (bye laws) के अधीन नियंत्रित होगी।

संशोधित अधिनियम द्वारा 'निर्माण' एवं पुनर्निर्माण को भली भांति परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम 'मरम्मत एवं नवीकरण' को भी परिभाषित करता है जिसका तात्पर्य है – "पहले से स्थित संरचना अथवा भवन में परिवर्तन" लेकिन इसके अन्तर्गत 'निर्माण' एवं 'पुनर्निर्माण' सम्मिलित नहीं होंगे।

पतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में केवल मरम्मत एवं नवीनीकरण की अनुमति हेतु आवेदन सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के समक्ष किये जायेंगे जिनको नामित करने हेतु अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी। केवल विनियमित क्षेत्र में ही निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अनुमन्य है जिसके लिये भी इन्हीं अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा। इस सन्दर्भ में एक **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण** के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो तत्सम्बन्धी सभी प्रकरणों पर सक्षम प्राधिकारी को अंतिम रूप से निष्पादनार्थ अनुशंसित करेगा। वर्तमान में मण्डल ायुक्त, लखनऊ को झांसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले समस्त सातों जिलों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस अधिनियम द्वारा जून 1992 से प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में निर्मित सभी अनाधिकृत संरचनाओं (भवनों) को चिन्हित करने तथा इनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है।

तदनुरूप केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध सजा की सीमा की समीक्षा करके उसे और सख्त बनाते हुये तीन माह की कैद को बढ़ाकर दो वर्ष तक और रू0 पांच हजार जुर्माने को बढ़ा कर रू0 एक लाख तक कर दिया गया है।

अतः अपनी बहुमूल्य धरोहर की सुरक्षा हेतु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में प्रत्येक नागरिक का सक्रिय सहयोग प्रार्थनीय है।

2021

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, झांसी मण्डल

36, रानी लक्ष्मीबाई महल, मानिक चौक, झाँसी– 284002

ई–मेल : circlejhansi.asi@gmail.com, circle.jhansi-asi@gov.in Tel No. 0510-2442325